"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2007 — चैत्र 9, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक ई-7/02/2007/1/2.—श्री एम. के. त्यागी, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 02-04-2007 से 20-04-2007 (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01, 21 एवं 22 अप्रैल, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री त्यागी, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश काल में श्री त्यागी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री त्यागी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक 2311/787/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अशोक कुमार महावर, अधिवक्ता, जिला-धमतरी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धमतरी के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक 2315/800/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री शंभूनाथ दुबे, अधिवक्ता, जिला-उत्तर बस्तर (कांकेर) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर (कांकेर) के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2007

क्रमांक F 11-5/16/2006.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन 25/45, ब्राम्हणपारा रायपुर एवं कारखाना प्रबंधक, जायसवाल निको लिमिटेड पोस्ट सिलतरा, जिला-रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 4/सी. जी. आई. आर./2005

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2007

क्रमांक F 11-5/16/06.—कारखाना प्रबंधक, जायसवाल निको लिमि. पोस्ट सिलतरा जिला-रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, इस्पात एवं इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन 25/45 ब्राम्हणपारा रायपुर एवं कारखाना प्रबंधक जायसवाल निको लिमिटेड पोस्ट सिलतरा जिला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या श्रमिकों का वेतन परिवर्तनशील महंगाई भत्तों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया जाकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2575 (1960-100) के ऊपर प्रत्येक अंक के लिए 2 रुपये की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है ?

2. क्या श्रमिकों को क्षेत्र की अन्य स्टील ईकाइयों के समान मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, शिक्षा भत्ता, अवकाश भत्ता पाने की पात्रता है ? यदि हां तो इसकी दर क्या होना चाहिये ?

3. क्या श्रमिकों को वर्ष में गणवेश प्रदाय किया जाना चाहिए ? यदि हां तो कब से ?

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक/F 9-4/16/2007.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, सीमेंट एम्पलाईज यूनियन 25/45 ब्राम्हण पारा, रायपुर एवं कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा, जिला रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 4/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक/F 9-4/16/2007.—कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा जिला-रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेंट एम्पलाईज यूनियन 25/45 ब्राम्हणपारा रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा, जिला-रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. सोनाडीह सीमेंट प्लांट में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिक वर्ष 2005-06 के लिये उत्पादन उत्पादकता के आधार पर वार्षिक बोनस विभागीय श्रमिकों के समान 20% की दर से प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ? तथा क्या बोनस भुगतान का दायित्व प्रमुख नियोजक का है, या ठेकेदारों का है ? तथा श्रमिक किस राहत के पात्र हैं ?

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक/F 9-5/16/2007.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, विद्युत कर्मचारी संघ (फेडरेशन) 8/62 गांधी चौक छोटापारा, रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रीक बोर्ड डंगनिया, रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 5/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक/F 9-5/16/2007.—सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रीक बोर्ड डंगनिया, रायपुर (छ. ग.) के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी, विद्युत कर्मचारी संघ (फेडरेशन) 8/62 गांधी चौक छोटापारा रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रीक बोर्ड डंगनिया रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में कार्यरत कर्मचारी लेखा वर्ष 2005-06 के लिये 20% की दर से एक्सग्रेसिया/अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं ?

2. क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष की जगह 60 वर्ष किया जाना आवश्यक है ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिये ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक एफ-1-14/07/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त अधिसूचना को निरस्त करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नारायण सिंह, श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

Raipur, the 12th March 2007

No. F 1 14/07/16.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject the State Government hereby appoints Shri Narayan Singh, Labour Commissioner to be the "Chief Conciliator" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2007

क्रमांक एफ 9-78/32/05/501.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-78/32/2005 दिनांक 01-05-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

कोरबा विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रक़बा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुसैना तह. कटघोरा	561/1	0.130 हेक्टेयर	प्रस्तावित वृक्षारोपण	कृषि

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक/30/अ. वि. अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धनसुली प. ह. नं. 13	3.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	धनसुली जलाशय के डूबान निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 14 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 06-07/2082.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	श्यामतराई प. ह. नं. 18	27.020	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धमतरी.	औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक 2587/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पण्डरीपानी	4.741	अधीक्षण यंत्री (सिविल) संभाग क्रमांक 3, कोरबा पूर्व.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 20 मार्च 2007

क्रमांक 2587/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	गोढ़ी	3.46	अधीक्षण यंत्री (सिविल) संभाग क्रमांक 3, कोरबा पूर्व.	राखड़ बांध हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1973/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	हिरापुर	0.28	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-खैरागढ़.	हिरापुर-झंडीतलाव मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक 2168/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गनेरी प. ह. नं. 13	17.164	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बॅराज बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छोटे पण्डरमुड़ा प. ह. नं. 5	0.845	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	छीरपानी जलाशय एवं नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	छीरपानी प. ह. नं. 5	5.223	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	छीरपानी जलाशय एवं नहर निर्माण में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	लैलूंगा	सलखिया प. ह. नं. 4	13.873	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	भेलवाटोली जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र के नीजि भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	तमनार प. ह. नं. 38	17.263	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के हरित पट्टिका निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	सलिहाभांठा प. ह. नं. 32	17.988	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के हरित पट्टा निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसकें द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुड़िया प. ह. नं. 38	0.024	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के पाईप लाईन कोल कन्वेयर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	झिंकाबहाल प. ह. नं. 41	8.172	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के आवासीय कालोनी एवं पाईप लाईन कोल कन्वेयर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	टिहलीरामपुर प. ह. नं. 39	25.246	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के आवासीय कालोनी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 24 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	लिबरा प. ह. नं. 41	0.725	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र के पाईप लाईन कोल कन्वेयर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक /531/प्र.-1/अ. वि. अं./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	खेरथा	0.02	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण.	सेतु निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक /536/प्र.-1/अ. वि. अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	परसुली	0.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण.	सेतु निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक /01/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	मुड़पार	0.07	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सं. बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय में डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक /03/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	परसदा	10.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सं. बेमेतरा.	परसदा जलाशय के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक /04/अ-82/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	कुंरा	1.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सं. बेमेतरा.	ढाबा व्यप. में प्रभावित निजी भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक /07/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	मुड़पार	0.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सं. बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 जनवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 11 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	सरईपतेरा कला प. ह. नं. 11	2.394	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 4 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	इरीबकसा प. ह. नं. 52	0.684	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सारी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 5 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सारी प. ह. नं. 52	13.833	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सारी जलाशय के अंतर्गत बांध पार डुबान एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 6 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	रेलई प. ह. नं. 52	23.683	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम.	सारी जलाशय के अंतर्गत बांधपार, डुबान, उलट एवं नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 फरवरी 2007

प्रकरण क्रमांक 7 अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	छांटा प. ह. नं. 4	1.409	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन मनियारी संभाग, मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

रा. प्र. क्र./03/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	20.203	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

रा. प्र. क्र./04/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कंठी	0.260	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	बांकी परियोजना के खुखरी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

रा. प्र. क्र./05/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडीह	0.312	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अं. पुर.	श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

रा. प्र. क्र./06/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	कंठी	2.926	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, अम्बिकापुर.	बांकी जलाशय योजना के कंठी माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

प्र. क्र./07/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	डांड़गांव	4.224	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	डांड़गांव जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 मार्च 2007

रा. प्र. क्र./23/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	बरगवां	5.440	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	बरनई परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कुकुरभुका प. ह. नं. 15	1.245	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गेरानाला जलाशय के डूबान क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोकियाखार प. ह. नं. 20	2.447	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गेरानाला जलाशय के स्पील चैनल में आने वाली भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पीठाआमा प. ह. नं. 18	21.236	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पीठाआमा जलाशय के डूबान क्षेत्र में अधिग्रहित भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जामझोर प. ह. नं. 20	0.654	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गेरानाला जलाशय के आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोकियाखार प. ह. नं. 20	2.780	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	गेरानाला जलाशय के आर. बी. सी. मुख्य नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझर प. ह. नं. 02	32.449	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बालाझर जलाशय के डूबान क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझर प. ह. नं. 02	2.276	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बालाझर जलाशय के मुख्य नहर में आने वाली भूमि का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2006

प्र. क्र. 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	ढोलगी	0.07	कार्यपालन अभियंता, मनियारी संभाग, मुंगेली.	भरत सागर जला. के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 6/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जेठूकापा	0.856	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 7/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बरबसपुर	0.085	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 09/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	केवईया	0.162	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 10/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	परसदा	3.926	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	गंगद्वारी.	3.778	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 12/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	खपरी	3.397	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 27/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भठली	4.329	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2006

क्रमांक क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 19/अ-82/वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरतराई, प. ह. नं. 115
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.006 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424	6.006
योग	6.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-थोक सब्जी बाजार निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर (राजस्व) के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ/ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-टिपावन, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.876 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
367/1	0.303
367/2	0.040
524/1	0.097
521/1	0.016
435/1	0.020
440/3	0.061
427	0.004
359/2	0.081
461/2	0.202
403/1	0.202
316/2	0.380
434	0.040
521/2	0.020
521/3	0.028
361/1	0.227
360	0.004
460/2	0.170
357/1	0.101
361/2	0.340
402/1	0.185
416	0.093
411	0.165
413	0.041
415	0.080
417	0.101
404	0.028
405/1	0.110
405/2	0.310
462	0.080
460/1	0.310
432	0.040
433	0.040
458/1	0.012
429	0.020
418	0.020
460/3	0.008
378/2	0.186
523/1	0.185
378/1	0.420
358/3	0.212
439	0.004
362/2	0.004
381	0.101
352/1	0.242
523/2	0.295
368	0.405
407/2	0.540
406/2	0.004
443/3	0.020
431	0.030
440/1	0.542
428	0.020
361/4	0.101
366	0.080
406/1	0.004
358/1	0.280
414	0.016
430	0.182
443/1	0.404
412	0.030
466/2	0.020
377	0.080
353/1	0.004
358/2	0.101
435/2	0.008
459	0.501
440/2	0.113
402/2	0.262
522	0.501
योग 69	9.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र./2 अ/ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-लकड़िया, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.309 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
438/3	0.040
437/1	0.101
440/2	0.401
440/3	0.136
409/2	0.040
409/3	0.020
438/1	0.310
438/2	0.202
441	0.303
451/2	0.303
449/1-2	0.010
439, 440/1	0.310
443	0.125
444	0.008
योग 14	2.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र./3 अ/ 82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-बलौदी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300	0.242
312/3	0.101
392	0.101
393/7	0.260
393/2	0.101
312/4	0.090
292/1	0.141
299/2	0.040
393/1	0.109
393/15	0.102
393/17	0.202
311/1	0.101
311/7	0.020
311/8	0.137
311/9	0.080
297	0.310
311/2	0.101
313	0.303
314	0.260
312/2	0.080
296	0.216
311/3	0.080
311/5	0.202

(1)		(2)
311/4		0.080
योग	24	3.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 14 अ/ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-वटगन, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.919 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
615	0.010
858/4, 859/5	0.243
830/2	0.069
836/1	0.101
837/1	0.118
385/2	0.101
385/9	0.202
888/4	0.040
1102/2	0.080
385/8	0.182
858/14, 859/15	0.310
359	0.242
1096	0.303
361/1	0.300
360/2	0.080
363/1	0.101
402/3	0.303
629	0.101
1034/1	0.202
830/1	0.101
883/1	0.101
883/3	0.192
1032/1	0.120
851/1, 851/2	0.257
884/1	0.345
1102/5, 1102/6	0.101
849/3	0.152
867	0.064
1100	0.336
1095/1	0.048
1032/2	0.101
841	0.120
857/1	0.080
834/1	0.030
1099/2	0.041
858/17, 858/19	0.303
362	0.145
1033/1	0.150
858/6, 859/7	0.363
353/1	0.153
353/3	0.065
355/2	0.126
842/2	0.170
466	0.840
967/1	0.101
387	0.041
1027/1	0.073
1027/6	0.097
1105/1	0.155
1036/1, 1039, 1040	0.080
877/2	0.150
877/3	0.186
858/17, 859/18	0.145
877/1	0.190
882	0.104
883/2	0.215
358/1, 358/2	0.326
1033/2	0.101
1027/3	0.080
354/1	0.310

(1)	(2)
880	0.020
878/2	0.316
879	0.048
829	0.160
831/1	0.560
849/4	0.060
401/2	0.116
363/2	0.101
401/3	0.260
369/2, 372	0.032
1027/4, 1027/5	0.140
888/5	0.053
849/2	0.041
858/5, 859/6	0.200
401/4	0.205
858/3, 859/4	0.170
858/9, 859/10	0.202
878/3	0.055
878/4	0.081
361/2	0.280
1104/2	0.008
1031/1	0.174
1031/2	0.028
881/1	0.187
835/2	0.060
1031/3	0.101
1031/4	0.101
881/2	0.237
1032/3	0.016
347/2	0.501
385/5, 386/13	0.121
385/12, 386/13	0.108
355/1	0.315
1105/2	0.101
364/2	0.132
843	0.520
385/7	0.202
1110	0.202
1111	0.020
1112	0.060
1113	0.120
1114	0.040
1100, 1190	0.109
541/1	2.120
469/1	0.512
358/3	0.105
1106/1	0.105
364/1	0.170
1035	0.101
353/2	0.090
402/2	0.304
360/3	0.060
835/1	0.501
1101/1	0.020
1102/1	0.024
1103/1	0.146
1097	0.107
1103/2	0.060
844	0.132
1106/3	0.040
1034/2	0.088
353/4	0.040
1095/2	0.283
1095, 1189	0.028
845	0.004
1099/1	0.202
1104/4	0.008
78/2	0.040
678	0.004
402/1	0.126
1098	0.101
626	0.008
876/1	0.080
858/2	0.198
859/2	0.626
842/3	0.263
469/2	0.510
469/3	0.101
469/4	0.101
851/3, 851/4	0.303
834/2	0.160
850/1	0.162
385/10, 386/11	0.202
402/4	0.303
888/6	0.052
योग 147	24.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोंदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-खरसिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.810 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471/14	0.028
471/6	0.263
471/5	0.105
471/10, 473/1	0.162
474/1	0.394
474/5	0.065
474/3	0.049
426/2 ख	0.016
426/1	0.016
426/2 क	0.013
426/3	0.032
421/1	0.028
421/2	0.036
420	0.024
478/7	0.008
419/1	0.036
419/2	0.036
478/1 ग	0.008
411/1, 412/1	0.016
482/2	0.538
483	0.016
484/2	0.279
484/3	0.304
505/9	0.405
505/3	0.259
511/4	0.665
506/4	0.105
503/2 क	0.061
504	0.109
503/1	0.243
505/2	0.020
506/1	0.020
506/2	0.020
74/2	0.045
75/11	0.089
75/3, 82/3	0.089
82/5	0.020
82/4	0.024
102/9	0.012
82/6	0.024
88	0.024
89/3	0.024
102/11	0.008
106, 182/1	0.008
102/10	0.008
102/2	0.008
102/6	0.004
102/7	0.004
102/11	0.008
102/1	0.008
105/3	0.008
182/6	0.004
182/3	0.008
443/3, 444/3	0.004
471/589	0.008
योग 54	4.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया बाईपास मार्ग क्रमांक-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़.
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगादकेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21	0.717
20/3	0.939
17	0.243
22	0.514
20/2	0.405
25/2	0.676
18/4	0.324
19	0.316
23	0.388
18/1	0.004
20/1	0.777
25/1	0.316
18/3	0.567
25/3	0.526
13	0.841
27/2	0.012
18/2	0.193
24	0.291
27/1	0.939
73/2	0.162
योग	9.150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कच्चे माल एवं बॉय प्रोडक्टस स्टाकयार्ड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक 206/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1283/1, 2, 3, 4	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक 207/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़गोढ़ी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1059	0.024
	1060	0.008
	1075	0.020
योग	3	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गढ़गोढ़ी उपवितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक 208/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.191 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	503/2	0.057
	507/3	0.065
	510/23	0.069
योग	3	0.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गुडेराडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 14 मार्च 2007

क्रमांक/120/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-सरंगपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
65	0.12
66	0.14

(1)	(2)
67	0.21
योग	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के कि. मी. 7/2 महानदी सेतु (आत्माराम ध्रुवा सेतु) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 14 मार्च 2007

क्रमांक/123/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बाबू साल्हेटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
600/2	0.10
619	0.46
609	0.10
608/2	0.03
608/1	0.03
612/1	0.01
योग	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- महानदी सेतु कि. मी. 7/2 के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक 01/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
129	0.10
147	0.01
153	0.13
159/1	0.02
185/3	0.11
202	0.06
225	0.05
326	0.12
140/1	0.03
148	0.05
154	0.04
164	0.09
185/5	0.05
203	0.01
226	0.04
327	0.30
140/2	0.05
149	0.07
155	0.01
165	0.14
199	0.06
215	0.02

(1)	(2)
228	0.04
328	0.10
141	0.02
152	0.01
156	0.07
200	0.02
216	0.03
229	0.11
योग	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लालपुर जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक 02/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुरता
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39	0.01
41	0.07
149/2	0.02
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लालपुर जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 45/अ-82/सन् 2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-राघोनवांगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
268	0.12
790	0.22
269	0.38
270	0.08
286	0.10
792	0.27
791	0.28
789	0.22
772	0.03
767	0.18
768/1	0.07
768/2	0.10
769/2	0.06

(1)	(2)
769/3	0.08
770	0.35
786/2	0.03
783	0.08
781	0.05
782	0.09
357	0.06
784	0.02
739/1	0.05
740	0.01
741	0.03
661	0.07
662/1	0.11
662/2	0.08
662/3	0.19
663	0.18
664	0.06
666	0.03
668	0.02
630	0.06
624	0.15
354/1	0.28
354/2	0.14
355	0.10
385/1	0.43
385/2	0.01
384	0.05
386	0.02
365	0.39
366/1	0.02
739/2	0.04
739/3	0.05
योग	5.44
792	0.66
793	0.18
842/2	0.45
842/4	0.19
842/3	0.16
823	0.08
841	0.23
840/1	0.31
829	0.02
833	0.47
703	0.20
832	0.02
713	0.25
714	0.16
712	0.19
706	0.38
705	0.06
702	0.03
701	0.14
592	0.15
योग	4.33
283	0.25
योग	0.25
कुल रकबा	5.44
	4.33
	0.25
कुल योग	10.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघोनवांगांव जलाशय के अंतर्गत आर. बी. सी., डूमरघूंचा माइनर एवं सब माइनर क्र. 1.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मार्च 2007

क्रमांक 47/अ-82/सन् 2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भरनाभाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.86
35/1	0.56
39/1	0.16
37	0.19
38	0.59
39/2	0.08
योग	2.44
355	0.07
360	0.09
356	0.07
357	0.07
359	0.17
358	0.35
410	0.21
411	0.01
414	0.08
416/4	0.02
योग	1.14
35/1	0.15
35/2	0.21
31	0.75
60	0.05
62	0.17
योग	1.33
कुल रकबा	2.44
	1.14
	1.33
कुल योग	4.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघोनवांगांव जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर, सब माइनर नं. 1 एवं सब माइनर नं. 2.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 7 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र. 1 अ/82-06-07.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :--

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
 (ख) तहसील-पण्डरिया
 (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा खुर्द, प. ह. नं. 12
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/1	0.057
49	0.113
88	0.263
40/2	0.008
39	0.077
50	0.073
51	0.057
52	0.053
53	0.138
54	0.012
90/1	0.008
87	0.081
74/2	0.134
83	0.130
78/1	0.016
82/1	0.045
82/2	0.049
77	0.178
15/1	0.174
15/4	0.126

(1)	(2)
15/3	0.089
योग 21	1.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं मायनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 7 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र. 8 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-चारभाठा कला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.222 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
154/4 क	0.028
154/2	0.073
154/3	0.089
153	0.142
156/2	0.028
152/6	0.081
152/1	0.069
157/1	0.263
158/2	0.121
159/1 घ	0.049
159/1 ग	0.053
205/2	0.146
204/1-2, 204/1-2	0.077
206/6	0.117
200, 201, 1 से 4	0.324
196/1, 196/2	0.012
195/2	0.170
194/1	0.032
193/2	0.150
194/2	0.134
158/1	0.105
148/1-2	0.057
159/1 क	0.194
138/2, 159/3	0.040
138/7, 159/5	0.085
147/4	0.012
138/5	0.008
138/4	0.073
137	0.121
136	0.024
124	0.113
125/1	0.073
126	0.024
105	0.095
104	0.121
101/1-2	0.101
63/1	0.040
63/2	0.040
66	0.065
67	0.069
68/1	0.040
68/2	0.077
89	0.093
90	0.089
91/2	0.024
91/1	0.028
123	0.097
69/1	0.061
69/3	0.093
योग 49	4.222

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं मायनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 22 फरवरी 2007

प्र. क्र. 53 अ/82-05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-कबीरधाम
  (ख) तहसील-कवर्धा
  (ग) नगर/ग्राम-मड़मड़ा, प. ह. नं. 4
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.892 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
190	0.117
191	0.158
192	0.097
187	0.036
186	0.105
185/3	0.113
184, 207/1 च	0.417
207/1 अ	0.117
339/1	0.126
340	0.045
342	0.211
343	0.049
332/1	0.036
468	0.024
331/1	0.073
331/2	0.077
331/3	0.061
330	0.141
326	0.134
324/3, 325	0.012
344/6	0.138
480/1	0.344
511/3	0.126
511/1	0.150
511/2	0.089
512/2	0.020
513/1	0.073
517	0.085
525/1	0.109
525/2	0.113
512/5	0.045
514	0.150
515/1	0.020
515/2	0.093
516	0.089
529/7	0.036
524	0.186
529/5	0.032
530/2	0.174
535/2	0.016
540/1	0.012
535/1	0.073
540/6	0.117
535/3	0.073
540/5	0.138
536	0.202
529/4	0.040
योग 47	4.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा व्यपवर्तन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 2 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
  (ख) तहसील-पण्डरिया
  (ग) नगर/ग्राम-पुतकी कला, प. ह. नं. 11
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/1	0.158
104/1	0.130
105	0.089
104/2	0.028
106/1, 106/2	0.085
योग 5	0.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोघरा व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं मायनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 3 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बाघामुड़ा, प. ह. नं. 07-
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
219/1	0.186
222/1	0.121
219/2	0.170
222/2	0.186
योग 4	0.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर व्यपवर्तन के मुख्य नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 4 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भरेवापारा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
271	0.396
275, 276	0.053
योग 2	0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर व्यपवर्तन के मुख्य नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 5 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-डोमनपुर, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.819 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63/2	0.186
	63/1	0.280
	62/1	0.210
	58	0.838
	59	0.093
	54/1	0.012
	54/2	0.458
	55/1	0.231
	53	0.012
	69/1	0.210
	69/2	0.365
	71/1	0.280
	77/1	0.352
	77/4	0.292
योग	14	3.819

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 2 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 7 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)

(ख) तहसील-पण्डरिया

(ग) नगर/ग्राम-घुटरकुण्डी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.798 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.223
14/2	0.097
16	0.077
24/1	0.085
97/1	0.109
14/3	0.041
97/2	0.130
83/1	0.089
13/1	0.126
34/1	0.126
33/2	0.113
30	0.056
31/1	0.069
87	0.012
98/2	0.008
79/12	0.041
79/14	0.109
79/13	0.113
79/17	0.085
80/1	0.126
80/2	0.081
83/2	0.109
96/2	0.008
89/1	0.146
88/1, 88/2	0.101
117	0.081

(1)	(2)
88/3, 88/4	0.089
118/1	0.045
116	0.101
111/2	0.056
112/1, 113/1	0.061
112/2, 113/2	0.068
योग 32	2.798

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर आगर योजना के कांपादह माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-तुरवारी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/2	0.121
19	0.024
18/2	0.073
17	0.101
18/1	0.138
2	0.239
23/1	0.024
21	0.016
23/2	0.101
41/1, 41/2	0.231
42	0.178
44	0.219
योग 11	1.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पदमपुर डायवर्सन नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

रा. प्र. क्रमांक 02/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पौनी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.078 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59/1	0.121
71/1	0.040
60	0.288
70/4	0.069
61/1	0.004
64/7	0.174

(1)	(2)
103	0.121
106	0.057
63	0.340
71/2, 71/3	0.069
64/3	0.028
72/1	0.142
72/2	0.040
94/1	0.089
94/6	0.093
94/4	0.210
96	0.194
97	0.065
104/3	0.097
105	0.040
273/1	0.202
107/2	0.016
202/7	0.117
202/5	0.292
272/1	0.024
272/3	0.081
273/2	0.065
योग 28	3.078

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हाफ शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

प्र. क्रमांक 4/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-लोरमी
- (ग) नगर/ग्राम-तेलियापुरान, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
172, 173	0.245
182	0.089
2	0.304
176	0.186
179	0.154
180	0.089
2	0.243
177	0.032
181	0.105
183, 190	0.442
191, 192	0.024
193	0.093
195	0.020
198	0.243
199	0.020
200	0.121
201	0.004
206	0.041
209	0.146
205	0.043
203	0.065
204/1, 204/2	0.243
4	0.349
402/2, 403	0.154
404	0.105
405, 406	0.045
408/1, 2	0.012
174, 175/2	0.016
योग	2.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पदमपुर डायवर्सन नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

(ख) तहसील-कोटा

(ग) नगर/ग्राम-साल्हेडबरी, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.560 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8/2	0.405
8/3	0.405
8/4	0.405
8/5	0.405
10	0.287
15	0.130
18	1.170
19	0.388
20	0.182
21, 33/10	0.243
31/2, 35/5	0.129
32/2, 33/2	0.073
32/1, 33/1	0.069
32/3, 33/3	0.162
32/4, 33/4	0.304
33/5	0.040
33/6	0.150
33/7	0.085
33/8	0.085
33/9	0.049
33/11	0.028
33/12	0.028
33/13	0.012
33/14	0.012
33/15	0.040
33/16	0.073
33/17	0.028
35	0.028
36	0.146
38	0.664
229/1	0.336
229/2	0.020
230/3	0.405
44	0.020
45	0.016
227/2, 228	0.081
233	0.647
230/10	0.405
230/15	0.405
योग	8.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- साल्हेडबरी जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 5 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./20/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-नमनाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.822 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1116/2	0.024
925/5	0.044
932	0.061
921/2	0.004
939/1	0.021
650/2	0.012

(1)	(2)
911	0.008
910	0.019
646	0.008
953/2	0.008
722	0.121
650/3	0.012
1115	0.048
918	0.004
648	0.008
951/2	0.012
652/2	0.008
652/1	0.008
909/2	0.020
923	0.024
649	0.012
940/3	0.004
753	0.032
652/3	0.008
909/3	0.020
940/2	0.004
919/1	0.024
919/2	0.016
752/2	0.016
929	0.004
909/4	0.044
930	0.043
938/1	0.028
938/2	0.057
650/1	0.012
931	0.024
योग	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रिंखी जलाशय योजना के नमना खुर्द माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./21/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-करौंदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.409 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1387	0.081
530	0.012
1386	0.012
712/1	0.008
1275	0.024
537	0.008
541/1	0.020
710	0.016
501	0.004
1392	0.049
531	0.049
1268	0.020
713/1	0.008
1276	0.020
536	0.004
542	0.032
1795/2	0.007
1389	0.008
532	0.004
1272	0.028
428	0.052
1279	0.008
538	0.012
686	0.009
1795/1	0.004
1391	0.049
533	0.004
695	0.025
1797	0.081
705	0.004
540	0.008
691	0.024
505/1	0.024
1373	0.080
534	0.004
428	0.089

(1)	(2)
1795/1	0.007
706	0.008
520	0.008
696	0.004
1382/2	0.081
1385	0.153
578	0.078
699/2	0.049
1270	0.020
506	0.020
526	0.013
699	0.024
690/2	0.053
योग	1.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रिखी जलाशय योजना के करौंदी माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./22/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-ककना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1214	0.061
योग	0.061

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ककना स्टोररूम के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./23/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-राजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धमधापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/18	0.053
23/32	0.121
23/25	0.202
23/48	0.061
योग	0.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अम्बिकापुर से करसी पहुंच मार्ग पर महान सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./26/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सिरपोतगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/2	0.040
127/2	0.060
683/4	0.128
576/11	0.128
योग	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरनई नहर परियोजना के बायां तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र./11/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185/21	0.235
196	0.073
242	0.049
185/23	0.388
197	0.020
185/41	0.053
202	0.065
188/1	0.024
203	0.049
194	0.121
204	0.170
195	0.049
209	0.109
योग	1.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहनपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/31/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-इरपा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.07
योग	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/32/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मुर्राम, प. ह. नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
48	0.40
49	0.05
50/1	0.08
54/2	0.10
57/1	0.10
222/1 क	0.12
230/1	0.08
229	0.10
231	0.10
योग	1.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/33/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेटावाड़ा, प. ह. नं. 73
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
116	0.05
118	0.27
146	0.09
119	0.08
120	0.01
121	0.01
123	0.11
144	0.08
127	0.21
139	0.05
142	0.05
128	0.21
136	0.40
129	0.09
131	0.01
132	0.04
135	0.04
137	0.10
140	0.01
141	0.01
योग	1.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/35/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मौलीभाठा, प. ह. नं. 67
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
679	0.20
583/1	0.01
821/1	0.02
504/1	0.05
684	0.04
125/1	0.02
133/1	0.29
573	0.11
544	0.15
553	0.05
676	0.02
699	0.37
151	0.15
670/1	0.07
681	0.04
136/1	0.27
146/1	0.16
150/1	0.37
522	0.01
814/1 क	0.03
843/1	0.20
565	0.02
674	0.03
554	0.02
675/1	0.10
677/2	0.10
234	0.05
576	0.20
682	0.07
527/1	0.15
508/1	0.47
790	0.02
541	0.02
675/2	0.05

(1)	(2)
675/3	0.02
675/4	0.02
675/6	0.02
677/6	0.05
677/5	0.03
677/2	0.02
702/1	0.25
702/2	0.12
504/1	0.05
524/1	0.05
786/2 ख	0.05
504/4	0.04
500	0.30
501	0.05
786/9	0.02
786/40 ख	0.02
824	0.05
840/2	0.05
758/1	0.05
759/1	0.05
504/3	0.20
506	0.10
524/3	0.20
840/1	0.06
524/4	0.03
786/1	0.03
789	0.06
828	0.28
826/1	0.02
759/1	0.11
758/2	0.14
786/6 ख	0.02
785	0.16
702/4	0.01
814/2	0.07
527/2	0.10
527/3	0.07
136/2	0.10
146/2	0.07
150/2	0.07
843/2	0.05
136/3	0.10
146/3	0.05
150/3	0.05
232	0.05
843/3	0.05
136/4	0.05
146/4	0.05
150/4	0.05
136/5	0.05
146/5	0.05
150/5	0.05
814/1 ख	0.10
843/5	0.10
821/2	0.02
131/2	0.05
671/2	0.01
131/3	0.05
671/3	0.01
131/4	0.05
671/4	0.01
131/1 क	0.10
131/2 क	0.10
786/1 ख	0.15
योग	8.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/36/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बाघमुण्डी, पनेड़ा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33	0.60
43	0.25
44	0.25
45/1	0.05
322/1	0.45
360/1	0.20
324	0.20
350	0.35
317	0.15
329	0.10
330	0.20
306	1.00
313/1	0.25
362	0.10
436	0.25
307	0.35
305	0.10
418/1	0.17
419	0.10
423	0.75
426	0.15
421	0.0[illegible]
368	0.05
369	0.15
योग	6.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़िकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2007

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा/07/393.—संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की विभागीय नियमावली में निहित प्रावधानानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षकों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो माह अप्रैल 2007 में दिनांक 24-4-2007 से 25-4-2007 तक नीचे लिखित अनुसार संपादित होगी :-

परीक्षा केन्द्र-संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर

क्र.	प्रश्न पत्र	दिनांक	दिन	विषय	समय
1.	द्वितीय	24-04-07	मंगलवार	भारत का संविधान (पुस्तक सहित)	10.30 से 1.30 बजे 3 घंटे
2.	तृतीय	25-04-07	बुधवार	वाणिज्यिक बहीखाता (पुस्तक रहित)	10.30 से 12.30 बजे 2 घंटे

किशोर परियार,
परीक्षा नियंत्रक/अपर संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 23 मार्च 2007

क्रमांक 2502/ज्ये. लि.-1/2007.—राजनांदगांव जिले में हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध को ध्यान में रखते हुये इन बीमारियों के प्रसार की रोकथाम करना आवश्यक है. अतः छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छः माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हांट बाजारों एवं अन्य स्थानों में सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिये रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सब्जियां, मिष्ठान, मांस मछलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईस्क्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्ना रस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ. ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट आधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव, सहायक खंण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैज़ा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्ण सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

आर. एस. विश्वकर्मा,
कलेक्टर.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्र. 29/चार/लो. स. उप चु./07/642.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. 3/4/आई. डी./2007/जे. एस. II/(BYE)/4308, दिनांक 15 मार्च 2007 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/4/आई. डी./2007/न्या. अनु.- II (उप) 4308 नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2007

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
1. छत्तीसगढ़
2. झारखण्ड

विषय : लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन-2007 निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों के प्रयोग के संबंध में आयोग के आदेश.

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ में 11-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड में 13-प्लामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों में, जब वे मतदान केन्द्रों पर अपने मतदान के लिए मतदान करने आयें तब अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय उन्हें अपना निर्वाचक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा.

2. इस संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2007, को जारी आयोग के आदेश की प्रति संलग्न है. सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान आदेश के पैरा 9 के निदेशों की ओर विशेषत: दिलाया जाए.

3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट अनुदेश दिया जाये कि जब निर्वाचक अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करें तो वे निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखें :-

(क) निर्वाचक पहचान-पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में सूक्ष्म विसंगतियों को नजर अंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती है.

(ख) निर्वाचक नामावली में यथा दर्शित निर्वाचक पहचान पत्रों की क्रम संख्या में कोई विसंगति नजर अंदाज कर दी जानी चाहिए.

(ग) यदि एक निर्वाचक, किसी दूसरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा जारी निर्वाचक पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निर्वाचक पहचान पत्र पर भी विचार किया जाना चाहिए बशर्ते उस निर्वाचक का नाम उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में लिखा हो जहां वह मतदान के लिए आया हैं, परन्तु ऐसे मामलों में, निर्वाचक की बांई तर्जनी (उंगली) की भली भांति जांच करके कि उस पर किसी अमिट स्याही का निशान तो नहीं लगा है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचक एक से ज्यादा स्थानों पर मतदान न करें और उसे मतदान के लिए अनुमति देते समय बांई ओर की तर्जनी (उंगली) पर अमिट स्याही लगानी चाहिए.

4. आयोग का दिनांक 15 मार्च, 2007, का आदेश राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए. चालू उप निर्वाचनों के लिए नियुक्त रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी तथा अन्य सभी संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों को आयोग के अनुदेशों से शीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए. आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचना के लिए इस आदेश का प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए. इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिनको निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, वे अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ लाएं तथा जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गए हैं, वे आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज मतदान के समय अपने साथ लाएं. आपके राज्य के सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी आयोग के इन अनुदेशों से लिखित में अवगत करा दिया जाए.

5. रिटर्निंग अफिसरों को यह अनुदेश दिया जाए कि इस आदेश का आशय समझ लें तथा इसकी विषय वस्तु सभी पीठासीन अधिकारियों को विशेषतया संक्षेप में अवगत करायें. वह यह भी सुनिश्चित करें कि इस पत्र की एक प्रति निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों/बूथों के पीठासीन अधिकारियों के पास उपलब्ध है.

6. कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भेजें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें.

भावदीय

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 3/4/ID/2007/J. S. II/(BYE)/4308 New Delhi, the 15th March 2007

To,

The Chief Electoral Officers of
1. Chhattisgarh
2. Jharkhand

Subject :- Bye-Elections to the House of the People 2007-Commission's Order regarding use of Electoral Photo Identity Cards.

Sir,

I am directed to say that the Commission has directed that all electors in 11-Rajnandgaon Parliamentary Constituency in Chhattisgarh and 13-Palamu (SC) Parliamentary Constituency in Jharkhand, who have been issued with their Electoral Identity Cards, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current bye-elections to the House of the People of abovementioned States.

2. A copy of the Order dated 15th March 2007, issued in this behalf is enclosed. Attention of all Presiding Officers may be specifically drawn to the directions in paragraph 9 of the order.

3. The Presiding Officers shall be clearly instructed to note the following instructions when the electors produce their Electoral Photo Identity Cards at the time of exercising their franchise :-

(a) Minor discrepancies in the entries relating to elector's name, father's/mother's/husband's/ name, sex, age or address in the Electoral Identity Card shall be ignored and the elector allowed to cast his vote so long as the identity of the elector can be established by means of that card.

(b) Any discrepancy in the serial number of the Electoral Identity Card as mentioned in the electoral roll shall be ignored.

(c) If an elector produces an Electoral Identity Card which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such cards shall also be taken in to account provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. But in such cases, it should be ensured that the elector does not vote at more than one place by thoroughly checking the left forefinger of the elector to see that there is no indelible ink mark thereon, and by applying the indelible ink on the left forefinger properly while allowing him to vote.

4. The Commission's Order dated 15th March, 2007, may be got published in the State Gazette immediately. The Returning Officers, Presiding Officers appointed for the current bye-elections and all other election authorities concerned may be informed of the Commission's directions urgently. This Order may be given wide publicity through

print/electronic media for information of the general public and electors. It should be made clear that those who have been issued with EPIC should bring the EPIC and those who have not been issued with EPIC should bring any of the alternative documents prescribed by the Commission, at the time of voting. All contesting candidates in your State may also be informed, in writing, of this direction of the Commission.

5. The Returning Officers shall be instructed to note the implications of this Order and explain the contents there of to all Presiding Officers thorugh special briefings. They should also ensure that a copy of this letter is available with the Presiding Officers at all polling stations/booths in the constituency.

6. Kindly acknowledge receipt and confirm action taken.

Yours Faithfully

Sd/-

(K. F. WILFRED)
Secretary,
Election Commission of India.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated the 15th March 2007

ORDER

No. 3/4/ID/2007/J. S. II/(BYE).—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Elecroal Indentity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling ; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a consituency have been supplied with Electoral Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Identity Card, where provided by the Election Commission at State Cost, and that both are to be used together ; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission had taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Chhattisgarh and Jharkhand have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issueing cards to the left-out electors ; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with

EPICs should produce those cards to exercise their franchies at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 11-Rajnandgaon Parliamentary Constituency in Chhattisgarh and 13-Palamu (SC) Parliamentary Constituency in Jharkand, who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current bye-elections to the House of the People, notified on 3rd March, 2007.

9. the Election Commission will, however, permit the electors who have not been issued their EPICs to vote at these bye-elections, provided their identity is otherwise established by the production of any of the following alternative documents :-

(i) Passports,
(ii) Driving Licences,
(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,
(iv) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies.
(v) Passbooks issued by Public Sector Banks/Post Office and Kisan passbooks (Accounts opened on or before 28-2-07)
(vi) Student Identity Cards issued by Recognised Educational Institutions on or before 28-2-07.
(vii) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc.
(viii) Ration Cards issued on or before 28-2-07;
(ix) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority on or before 28-2-07.
(x) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order.
(xi) Railway Identification Cards issued on or before 28-2-07,
(xii) Freedom Fighter Identity Cards,
(xiii) Arms Licenses issued on or before 28-2-07,
(xiv) Certificate of Physical Handicap by Competent Authority issued on or before 28-2-07.

10. It is clarified that any document, as enumerated above, which is available only for the Head of Family, shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family provided the other members can be identified on the basis of such document.

By order

Sd/-

(K. F. WILFRED)
Secretary,
Election commission of India.

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्र. 29/चार/लो. स. उप चु./07/644.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र. 76/ARUN-HP/2004, दिनांक 13 मार्च 2007 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2007—16 फाल्गुन, 1928 (शक).

आदेश

सं. 76/अरुणाचलप्रदेश लो. स./2004.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट अरुणाचल प्रदेश लोक सभा 2004 के साधारण निर्वाचन, के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहें है ; और

और यत: उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :-

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र. सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2-अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र.	श्री ओगोंग तामु, ग्राम-बंसकोटा-1, डाकघर-पासीघाट, जिला-ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहें.
2.	लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004	2-अरुणाचल पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र.	श्री ओनोम टाक्न्यो, डाकघर-पासीघाट, ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहें.

आदेश से,

हस्ता/-

(के. अजय कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, dated the 7th March 2007—16 Phalguna, 1928 (Saka)

ORDER

No. 76/ARUN-HP/2004.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha of Arunachal Pradesh, 2004 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge the account of election expenses as required under the representation of the People Act, 1951 and Rules and Orders made thereunder, as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order :-

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars of election (2)	No. and Name of Constituency (3)	Name & Address of contesting candidate (4)	Reason for disqualification (5)
1.	General Election to Lok Sabha, 2004	2-Arunachal East Parliamentary Constituency.	Shri Ogong Tamuk, Vill. Banskota-1, P. O. - Pasighat, District East Siang, Arunachal Pradesh.	Failed to lodge accounts of election expenses.
2.	General Election to Lok Sabha, 2004	2-Arunachal East Parliamentary Constituency.	Shri Onom Taknyo, P. O. - Pasighat, East Siang, Arunachal Pradesh.	Failed to lodge accounts of election expenses.

By order,

Sd/-

(K. AJAYA KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.